न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
मैसर्स एवमें (एसीएमई) चितौड़गढ़ सोलर एनर्जी प्रा.लि. मुनिश प्लाजा, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली जरिये अधिकृत प्रतिनिधी सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसुन्दर जाति राजपूत निवासी हाल अखाधना तहसील–बाप, जिला जोधपुर (राज.)		तहसीलदार, बाप

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रकरण संख्या :–185/2019

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोलंकी उपस्थित
2. अप्रार्थी तहसीलदार बाप स्वयं उपस्थित

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला जोधपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक :– 19.12.2019

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी की खरीदसुदा एवं लीजसुदा भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 252.08 बीघा भूमि सरहद मौजा अखाधना पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खरीदसुदा एव लीज सुदा भूमि की पैमाईश करवाने हेतु तहसीलदार बाप के समक्ष आवेदन पेश किया तहसीलदार बाप ने आदेश क्रमांक 159 दिनांक 05.03.2019 को उक्त भूमि की पैमाईश करने का आदेश पटवारी हल्का को जारी किया तथा पटवारी हल्का ने उक्त आदेश की पालना में दिनांक 29.05.2019 को मौके पर चलकर प्रार्थी एवं अड़ौस पड़ौस के खातेदारों की उपस्थित में प्रार्थी की भूमि की पैमाईश कर पैमाईश फर्द रूबरू प्रार्थी एवं अड़ौस पड़ौस के खातेदारों के तैयार कर पैमाईश फर्द तहसीलदार बा पके कार्यालय में पेश कर दी। वर्तमान में प्रार्थी कम्पनी मौके पर काबिज है तथा तारबंदी के अभाव में सौलर का कार्य रूका हुआ है जिससे प्रार्थी कम्पनी विद्युत उत्पादन नहीं कर पा रही है और विकास कार्य रूका हुआ है। इसलिये प्रार्थी पैमाईश फर्द की पालना में अपने खेत खसरा नम्बर 19 रकबा 252.08 बीघा भूमि की अपनी हद में पत्थरगढी करवाने का हकदार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को सम्मन भेजा गया। जिस पर अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया तथा अपने जवाब में प्रार्थी रेकर्डड खातेदार होने से अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाने का जायज हकदार है और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार पत्थर गढी किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की। पत्रावली बहस में रखी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 252.08 बीघा भूमि सरहद मौजा अखाधना पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप में स्थित है। उक्त खसरा की भूमि पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रार्थी ने उक्त भूमि की पैमाईश करवाकर सीमा ज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार बाप से दिनांक 05.03.2019 को जरिये आदेश क्रमांक 159 के जरिये पटवारी हल्का के नाम आदेश जारी करवाया जिसकी पालना में पटवारी हल्का

ने दिनांक 29.05.2019 को मौके पर चलकर उक्त भूमि के पड़ौसियान मौतबीरान् व प्रार्थी के रूबरू उक्त भूमि
की पैमाईश कर प्रार्थी एंव मौतबीरान् को उक्त खसरा की भूमि का सीमा ज्ञान करवाया एवं उसी अनुसार
मौका फर्द तैयार तहसीलदार कार्यालय बाप में पेश कर दी। बिना पत्थर गड्डी किये प्रार्थी की उक्त भूमि में
सौलर विद्युत का उत्पादन नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थी को इररिपेबली लॉस एव इन्जरी हो रही है
जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों मे नहीं की जा सकेगी। प्रार्थी दिनांक 29.05.2019 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त
खसरा की गई पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थर गढी करवाने का अधिकारी है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, राजस्व नक्शा एवं फर्द पैमाईश दिनांक 29.05.2019 का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 19 रकबा 252.08 बीघा भूमि सरहद मौजा अखाधना पटवार क्षेत्र शेखासर के रेकर्ड खातेदार है। तहसीलदार बाप ने भी पत्थर गढी किये जाने की अनुशंषा की है। इसलिये प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की अपनी हद में पत्थर गढी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अखाधना पटवार क्षेत्र शेखासर के खसरा नम्बर 19 रकबा 252.08 बीघा भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीदार बाप पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.19 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी - बाप
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed ...
Date: 2019.12...
Reason: SelfA...
Location: